द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी-चार-101(16-तदर्थ प्रोन्नति-1)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी-101(16)2013 दिनॉकः12-07-2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2008 समय-समय पर यथा संशोधित-2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0-792761934) दुर्गा प्रसाद सिंह पुत्र श्री प्रताप बहादुर सिंह, पुलिस लाइन, हरदोई के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2- शासनादेश संख्याः13/21/89-का-1-1997 दिनांकः 28-05-1997 के प्रस्तर-10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3- शासनादेश दिनॉकितः 28-05-1997 के प्रस्तर-10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 दुर्गा प्रसाद सिंह, पीएनओ-792761934 के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य-क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0-792761934) दुर्गा प्रसाद सिंह पुत्र श्री प्रताप बहादुर सिंह, पुलिस लाइन, हरदोई को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4- अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 दुर्गा प्रसाद सिंह, पीएनओ-792761934 पुलिस लाइन हरदोई(वर्तमान में जनपद गोरखपुर) को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ / गोरखपुर जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ / गोरखपुर परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक,हरदोई / गोरखपुर

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–2)/2014   दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812750113) शिव रतन सिंह पुत्र श्री बाबू राम, पुलिस लाइन, मुरादाबाद के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812750113) शिव रतन सिंह पुत्र श्री बाबू राम, पुलिस लाइन, मुरादाबाद के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812750113) शिव रतन सिंह पुत्र श्री बाबू राम, पुलिस लाइन, मुरादाबाद को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812750113) शिव रतन सिंह पुत्र श्री बाबू राम, पुलिस लाइन, मुरादाबाद को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागींय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–3) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19, 2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812801039) फहीम अहमद खॉ पुत्र श्री रफीक अहमद खॉ, पुलिस लाइन अमरोहा के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812801039) फहीम अहमद खॉ पुत्र श्री रफीक अहमद खॉ, पुलिस लाइन अमरोहा के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812801039) फहीम अहमद खॉ पुत्र श्री रफीक अहमद खॉ, पुलिस लाइन अमरोहा को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812801039) फहीम अहमद खॉ पुत्र श्री रफीक अहमद खॉ, पुलिस लाइन अमरोहा को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र।
3– पुलिस अधीक्षक, अमरोहा ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–4)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19, ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812620830) पारस नाथ सिंह पुत्र श्री मातादीन सिंह, पुलिस लाइन बस्ती के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812620830) पारस नाथ सिंह पुत्र श्री मातादीन सिंह, पुलिस लाइन बस्ती के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812620830) पारस नाथ सिंह पुत्र श्री मातादीन सिंह, पुलिस लाइन बस्ती को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812620830) पारस नाथ सिंह पुत्र श्री मातादीन सिंह, पुलिस लाइन बस्ती को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, गोरखपुर जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, बस्ती परिक्षेत्र।
3– पुलिस अधीक्षक, बस्ती ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–5)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19, 2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812191659) राजेन्द्र सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, पुलिस लाइन चन्दौली के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812191659) राजेन्द्र सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, पुलिस लाइन चन्दौली के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812191659) राजेन्द्र सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, पुलिस लाइन चन्दौली को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–812191659) राजेन्द्र सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, पुलिस लाइन चन्दौली को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5— पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/2

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन ।
2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चन्दौली ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2— सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3— पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–6)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19, 2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॅाकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822032005) प्रदीप कुमार चतुर्वेदी पुत्र हरिनारायन चतुर्वेदी, पुलिस लाइन आगरा के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॅाकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822032005) प्रदीप कुमार चतुर्वेदी पुत्र हरिनारायन चतुर्वेदी, पुलिस लाइन आगरा के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822032005) प्रदीप कुमार चतुर्वेदी पुत्र हरिनारायन चतुर्वेदी, पुलिस लाइन आगरा को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822032005) प्रदीप कुमार चतुर्वेदी पुत्र हरिनारायन चतुर्वेदी, पुलिस लाइन आगरा को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5— पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— पुलिस महानिरीक्षक, आगरा जोन ।
2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2— सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3— पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–7)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॅाकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762350102) चन्द्रभान यादव पुत्र रामाधार, पुलिस लाइन लखनऊ के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762350102) चन्द्रभान यादव पुत्र रामाधार, पुलिस लाइन लखनऊ के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762350102) चन्द्रभान यादव पुत्र रामाधार, पुलिस लाइन लखनऊ को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762350102) चन्द्रभान यादव पुत्र रामाधार, पुलिस लाइन लखनऊ को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

19/-

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–8)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822730648) हफीजुर्रहमान पुत्र मो0 मोबिन, पुलिस लाइन झांसी के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्या:13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822730648) हफीजुर्रहमान पुत्र मो0 मोबिन, पुलिस लाइन झांसी के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822730648) हफीजुर्रहमान पुत्र मो0 मोबिन, पुलिस लाइन झांसी को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822730648) हफीजुर्रहमान पुत्र मो0 मोबिन, पुलिस लाइन झांसी को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–9)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॅाकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822380407) सुरेन्द्रनाथ राय पुत्र बलेश्वर राय, पुलिस लाइन लखनऊ के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822380407) सुरेन्द्रनाथ राय पुत्र बलेश्वर राय, पुलिस लाइन लखनऊ के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822380407) सुरेन्द्रनाथ राय पुत्र बलेश्वर राय, पुलिस लाइन लखनऊ को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822380407) सुरेन्द्रनाथ राय पुत्र बलेश्वर राय, पुलिस लाइन लखनऊ को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–10)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822650772) सुनील कुमार पचौरी पुत्र श्री बी0डी0 पचौरी, पुलिस लाइन बरेली के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822650772) सुनील कुमार पचौरी पुत्र श्री बी0डी0 पचौरी, पुलिस लाइन बरेली के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822650772) सुनील कुमार पचौरी पुत्र श्री बी0डी0 पचौरी, पुलिस लाइन बरेली को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822650772) सुनील कुमार पचौरी पुत्र श्री बी0डी0 पचौरी, पुलिस लाइन बरेली को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–11)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822240110) रतन सिंह पुत्र श्री श्याम लाल, पुलिस लाइन मथुरा के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822240110) रतन सिंह पुत्र श्री श्याम लाल, पुलिस लाइन मथुरा के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822240110) रतन सिंह पुत्र श्री श्याम लाल, पुलिस लाइन मथुरा को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822240110) रतन सिंह पुत्र श्री श्याम लाल, पुलिस लाइन मथुरा को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

9/-

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, आगरा जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–12)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822032180) विष्णुदत्त दुबे पुत्र श्री सरजू प्रसाद दुबे, पुलिस लाइन मिर्जापुर के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822032180) विष्णुदत्त दुबे पुत्र श्री सरजू प्रसाद दुबे, पुलिस लाइन मिर्जापुर के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822032180) विष्णुदत्त दुबे पुत्र श्री सरजू प्रसाद दुबे, पुलिस लाइन मिर्जापुर को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822032180) विष्णुदत्त दुबे पुत्र श्री सरजू प्रसाद दुबे, पुलिस लाइन मिर्जापुर को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5— पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन ।
2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, मिर्जापुर परिक्षेत्र।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2— सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3— पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–13)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752090999) दिलावर हुसैन पुत्र श्री वाकर हुसैन, पुलिस लाइन बलिया के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752090999) दिलावर हुसैन पुत्र श्री वाकर हुसैन, पुलिस लाइन बलिया के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752090999) दिलावर हुसैन पुत्र श्री वाकर हुसैन, पुलिस लाइन बलिया को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–752090999) दिलावर हुसैन पुत्र श्री वाकर हुसैन, पुलिस लाइन बलिया को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बलिया ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स / महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–14) / 2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822291349) बृजलाल भार्गव पुत्र श्री दीनदयाल, पुलिस लाइन गाजियाबाद के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच / विभागीय कार्यवाही / अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822291349) बृजलाल भार्गव पुत्र श्री दीनदयाल, पुलिस लाइन गाजियाबाद के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822291349) बृजलाल भार्गव पुत्र श्री दीनदयाल, पुलिस लाइन गाजियाबाद को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–822291349) बृजलाल भार्गव पुत्र श्री दीनदयाल, पुलिस लाइन गाजियाबाद को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5— पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन ।
2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2— सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3— पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–15)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 14 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–820900779) मुन्नालाल पुत्र श्री छोटे लाल, पुलिस लाइन मेरठ के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–820900779) मुन्नालाल पुत्र श्री छोटे लाल, पुलिस लाइन मेरठ के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 ((पी0एन0ओ0–820900779) मुन्नालाल पुत्र श्री छोटे लाल, पुलिस लाइन मेरठ को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–820900779) मुन्नालाल पुत्र श्री छोटे लाल, पुलिस लाइन मेरठ को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

19/

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–16)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840820367) हृदयराम वर्मा पुत्र श्री नागेश्वर प्रसाद, विशेष शाखा अभिसूचना, वाराणसी के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रक्रिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840820367) हृदयराम वर्मा पुत्र श्री नागेश्वर प्रसाद, विशेष शाखा अभिसूचना, वाराणसी के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840820367) हृदयराम वर्मा पुत्र श्री नागेश्वर प्रसाद, विशेष शाखा अभिसूचना, वाराणसी को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840820367) हृदयराम वर्मा पुत्र श्री नागेश्वर प्रसाद, विशेष शाखा अभिसूचना, वाराणसी को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशां तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5— पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2— सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3— पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–17)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840821038) परमानन्द शर्मा पुत्र श्री अद्वेता नन्द शर्मा, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बरेली के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840821038) परमानन्द शर्मा पुत्र श्री अद्वेता नन्द शर्मा, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बरेली के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840821038) परमानन्द शर्मा पुत्र श्री अद्वेता नन्द शर्मा, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बरेली को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–840821038) परमानन्द शर्मा पुत्र श्री अद्वेता नन्द शर्मा, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बरेली को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5— पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2— सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3— पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–18)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762121526) हरपाल सिंह पुत्र श्री भीम सेन, पुलिस लाइन मुरादाबाद के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762121526) हरपाल सिंह पुत्र श्री भीम सेन, पुलिस लाइन मुरादाबाद के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762121526) हरपाल सिंह पुत्र श्री भीम सेन, पुलिस लाइन मुरादाबाद को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–762121526) हरपाल सिंह पुत्र श्री भीम सेन, पुलिस लाइन मुरादाबाद को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5— पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

<u>प्रतिलिपिः</u>निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन ।
2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र।
3— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2— सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3— पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–19)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842530127) चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, पुलिस लाइन अलीगढ़ के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842530127) चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, पुलिस लाइन अलीगढ़ के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842530127) चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, पुलिस लाइन अलीगढ़ को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842530127) चन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री फूल सिंह, पुलिस लाइन अलीगढ़ को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, आगरा जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–20)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842463197) विनोद कुमार पटेल पुत्र श्री राम बाबू पटेल, पुलिस लाइन अलीगढ़ के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842463197) विनोद कुमार पटेल पुत्र श्री राम बाबू पटेल, पुलिस लाइन अलीगढ़ के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842463197) विनोद कुमार पटेल पुत्र श्री राम बाबू पटेल, पुलिस लाइन अलीगढ़ को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842463197) विनोद कुमार पटेल पुत्र श्री राम बाबू पटेल, पुलिस लाइन अलीगढ़ को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– पुलिस महानिरीक्षक, आगरा जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ ।

<u>संख्या तथा दिनॉक वही।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित:–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1–तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी–चार–101(16–तदर्थ प्रोन्नति–21)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19 ,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी–101(16)2013 दिनॉकः12–07–2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली–2008 समय–समय पर यथा संशोधित–2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842400046) सरवत अब्बास जैदी पुत्र श्री जहीर हैदर जैदी, पुलिस लाइन गाजियाबाद के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3– शासनादेश दिनॉकितः 28–05–1997 के प्रस्तर–10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842400046) सरवत अब्बास जैदी पुत्र श्री जहीर हैदर जैदी, पुलिस लाइन गाजियाबाद के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य–क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842400046) सरवत अब्बास जैदी पुत्र श्री जहीर हैदर जैदी, पुलिस लाइन गाजियाबाद को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4– अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0–842400046) सरवत अब्बास जैदी पुत्र श्री जहीर हैदर जैदी, पुलिस लाइन गाजियाबाद को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन ।
2– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1—तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्याःडीजी—चार—101(16—तदर्थ प्रोन्नति—22)/2014 दिनॉकः लखनऊःफरवरी 19,2015

आदेश

इस मुख्यालय के आदेश संख्याःडीजी—101(16)2013 दिनॉकः12—07—2013 द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावाली—2008 समय—समय पर यथा संशोधित—2013 में निहित निर्देशो के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0—842290179) अशोक कुमार पुत्र श्री विशम्भर सिंह, सीबीसीआईडी के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति सम्बन्धित चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2— शासनादेश संख्याः13/21/89—का—1—1997 दिनांकः 28—05—1997 के प्रस्तर—10 में चयन समिति द्वारा प्रथमवार आरोपित कार्मिक की प्रोन्नति पर विचार करने एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रकिया अपनाये जाने के बाद एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी (इस अवधि में ऐसी अवधि आगणित नहीं की जायेगी, जिसमें अपचारी कार्मिक द्वारा असहयोग के कारण जॉच प्रकिया में विलम्ब हुआ) यदि आरोपित कार्मिक के विषय में प्रशासनाधिकरण की जॉच/विभागीय कार्यवाही/ अभियोजन का अन्तिम परिणाम प्राप्त न हुआ हो तो ऐसे कार्मिक के विषय में, जो निलम्बित नहीं हैं, चयन समिति द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3— शासनादेश दिनॉकितः 28—05—1997 के प्रस्तर—10 में स्थापित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0—842290179) अशोक कुमार पुत्र श्री विशम्भर सिंह, सीबीसीआईडी के तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचारण किया गया। विचारोपरान्त चयन समिति द्वारा पाया गया कि उक्त कर्मी के विरूद्ध लम्बित अभियोग कर्तव्यपालन के दौरान किया गया लोप है। इस लोप के कारण इनको तदर्थ आधार पर प्रोन्नति से वंचित रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कर्मी को लम्बे समय तक प्रोन्नति नहीं दिया जाता है तो उसके मनोबल और कार्य—क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चयन समिति द्वारा उ0नि0ना0पु0 (पी0एन0ओ0—842290179) अशोक कुमार पुत्र श्री विशम्भर सिंह, सीबीसीआईडी को तदर्थ रूप से प्रोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया तथा चयन समिति की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किया गया।

4— अतः उपनिरीक्षक ना0पु0 (पी0एन0ओ0—842290179) अशोक कुमार पुत्र श्री विशम्भर सिंह, सीबीसीआईडी को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर तदर्थ रूप से वर्तमान नियुक्ति स्थान पर प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः—

(1) तदर्थ रूप से प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिये की जाती है और इस प्रोन्नति को कभी भी समाप्त करते हुये उसे उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(2) उक्त उपनिरीक्षक के विरूद्ध चल रहे अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त हो जाने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसी की जाती है यदि उसे तदर्थ प्रोन्नति न दी गयी होती।

(3) यदि मा0 न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर (गुणावगुण के आधार पर नही) दोषमुक्त किया जाता है और न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या उसी आरोप के लिये विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव है तो उस दशा में इस बिन्दुपर विचार किया जायेगा कि उक्त कर्मी को तदर्थ प्रोन्नति पर बनाये रखा जाये अथवा नहीं।

(4) इस तदर्थ प्रोन्नति के आधार पर स्थायीकरण की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अभियोजन के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर यथास्थिति स्थायीकरण एवं वरिष्ठता निर्धारण के विषय में समुचित निर्णय लिया जायेगा।

5– पदोन्नति प्राप्त उक्त कर्मी का वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

(वितुल कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपिःअपर पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2– सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।